



# भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित

HDFC ERGO



## प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

मौसम - रबी वर्ष 2023-24 फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ!

### किसान भाई-बहनों के लिए आवश्यक सूचना

भारत सरकार की इस योजना को छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से "एचडीएफसी अगो जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड" द्वारा मौसम रबी वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ के 12 जिलों (बिलासपुर, दुर्ग, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, मुंगेली, सुकमा, सरगुजा, बालोद, बलौदा बाजार, बलरामपुर, दंतेवाड़ा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, रायपुर) में संचालित की जा रही है।

**अधिसूचित फसलें:** रबी: चना, अलसी, सरसों, गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित

### योजना की विशेषताएँ

- **आवरण किये जाने वाले किसान:** अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी बीमित किसान।
- **ऋणी किसान :** ऋणी कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी चयन प्रपत्रानुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र रबी के लिये दिनांक 24.12.2023 तक संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा, अन्यथा संबंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम के लिए स्वीकृत/नवीनीकृत की गई अल्पकालीन कृषि ऋण को अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जायेगा। ऋणी कृषक बीमित फसल में परिवर्तन करा सकते हैं इसके लिये रबी मौसम में नामांकन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 से दो दिवस पूर्व इस बात की सूचना संबंधित बैंक शाखा में दे सकते हैं।
- **अऋणी किसान:** अधिसूचित फसल लगाने वाले सभी अऋणी किसान को प्रस्ताव पत्र के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
- **जरूरी दस्तावेज:** 1) नवीनतम आधार कार्ड कॉपी, 2) नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र (बी-1, पी-2) की कॉपी, 3) बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी जिस पर एकाउंट नंबर/आईएफएससी कोड/बैंक का पता साफ दिख रहा हो, 4) फसल बुवाई प्रमाण-पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्वघोषणा पत्र, 5) किसान का वैध मोबाइल नंबर, 6) बटाईदार/कास्तकार/साझेदार किसानों के लिए फसल साझा/कास्तकार का घोषणा पत्र।

**आधार अनिवार्य:** किसान भाईयों से अनुरोध है कि वो अपना आधार कार्ड मौसम रबी वर्ष 2023-24 के लिए दिनांक 31.12.2023 से पूर्व, बैंक में अपडेट करा लें। फसल बीमा पोर्टल पर बिना आधार प्रमाणीकरण के बीमा मान्य नहीं होगा।

### आवरित जोखिम

| अधिसूचित क्षेत्र आधार पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | व्यक्तिगत खेत आधार पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>बुवाई/रोपाई नहीं होने पर:</b> प्रतिकूल मौसम अवस्थाओं के कारण अधिसूचित क्षेत्र के 75% क्षेत्र में बुवाई न होने पर बीमित राशि का अधिकतम 25% तक क्षतिपूर्ति। केवल चना फसल के लिए लागू है।</li><li>● <b>फसल कटाई प्रयोग आधार पर:</b> प्रत्येक अधिसूचित ग्राम में 04 फसल कटाई द्वारा व्यापक आधार पर आयी प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसान का आंकलन।</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>स्थानीय आपदाएं:</b> ओलावृष्टि, जलप्लावन, बादल फटना और प्राकृतिक आकाशीय बिजली से व्यक्तिगत आधार पर अभिचिन्हित स्थानीयकृत जोखिमों से होने वाले क्षति से सुरक्षा प्रदान करेगा।</li><li>● <b>फसल कटाई के उपरान्त नुकसान:</b> खेत में काटकर व फैलाकर/छोटे गठरों में बांधकर सुखाने हेतु रखी गयी फसलों को फसल कटाई के पश्चात केवल 14 दिनों के अधिकतम अवधि में चक्रवात, चक्रवाती बारिश और बेमौसमी बारिश होने से हानि होने की स्थिति में।</li></ul> |



अधिसूचित क्षेत्र आधार पर फसल कटाई प्रयोग से क्षति निर्धारण कृषक के द्वारा प्रीमियम राशि देय मात्र से दावा राशि की पात्रता नहीं बनती है और न ही अकाल, सुखा अनावारी रिपोर्ट के आधार पर निर्धारण किया जाता है। जबकि योजनांतर्गत बीमा दावा का निर्धारण बीमित ग्राम एवं फसल में पटवारी तथा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के द्वारा आयोजित 2-2 (कुल 4 प्रति फसल) फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त वास्तविक उपज का निर्धारित थ्रेशहोल्ड उपज से तुलना उपरांत बीमा कंपनी द्वारा देय होता है। जितना प्रतिशत उपज में कमी आती है, उनके मान से दावा राशि प्रदान किया जाता है।

स्थानीय आपदाएँ एवं फसल कटाई उपरान्त नुकसान होने पर 72 घंटों के भीतर अपनी फसल के नुकसान की सूचना यहाँ दें:

- ☞ स्थानीय कृषि, संबंधित बैंक, स्थानीय बैंक, वित्तीय संस्था
- ☞ भारत सरकार की क्रॉप इश्योरेंस ऐप।
- ☞ जिला/विकासखण्ड/तहसील स्तर के कृषि/राजस्व कार्यालय
- ☞ बीमा कंपनी का टोल फ्री नम्बर 14447

|                                                                                                                                                                                                               | रबी            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. किसान द्वारा देय प्रीमियम दर (बीमित राशि का)                                                                                                                                                               | 1.5%           |
| 2. बैंक/प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति/लोक सेवा केन्द्र/पोस्ट ऑफिस/ऑनलाईन पंजीकरण/बीमा अभिकर्ता इत्यादि द्वारा सभी ऋणी कृषकों तथा अऋणी कृषकों से प्रस्ताव प्राप्त करने तथा प्रीमियम कटौती करने की अंतिम तिथि | 31 दिसंबर 2023 |
| 3. बैंक/वित्तीय संस्थाएँ द्वारा संबंधित बीमा कंपनी को समेकित घोषणा के साथ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रीमियम प्रेषण करने की अंतिम तिथि तथा प्रत्येक बीमित कृषकों की विवरण को पोर्टल में अपलोड करने की अंतिम तिथि | 31 दिसंबर 2023 |

- किसान भाई-बहनों से आग्रह है कि फसल बीमा की रबी मौसम के लिए अंतिम तिथि **31.12.2023** से पूर्व निकटतम राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/जिला सहकारी बैंक/प्राथमिक सहकारी समितियाँ/लोक सेवा केन्द्र (CSC)/पोस्ट ऑफिस/भारत सरकार की बीमा पोर्टल के माध्यम से फसल का बीमा करा सकते हैं
- योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृषि अधिकारी/राजस्व अधिकारी/बैंक/CSC एवं एचडीएफसी क्षेत्रीय/जिला/ब्लॉक कार्यालय से संपर्क करें।

### प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम रबी वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत जिलावार/फसलवार बीमित राशि एवं कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि (रु./हे.)

(मौसम रबी वर्ष 2023-24 अन्तर्गत एचडीएफसी अर्गो को अधिकृत जिलों के अधिसूचित फसलों में बीमा के लिए देय प्रीमियम दर बीमित राशि का 1.5%)

| मौसम           | जिला     | फसल           | बीमित राशि/हे. | कृषक प्रीमियम राशि/हे. | किसान खाते से प्रीमियम डेबिट की अंतिम तिथि |
|----------------|----------|---------------|----------------|------------------------|--------------------------------------------|
| रबी<br>2023-24 | बलरामपुर | चना           | 31000          | 465                    | 31 दिसंबर 2023                             |
|                |          | अलसी          | 16000          | 240                    | 31 दिसंबर 2023                             |
|                |          | सरसों         | 26000          | 390                    | 31 दिसंबर 2023                             |
|                |          | गेहूं सिंचित  | 33000          | 495                    | 31 दिसंबर 2023                             |
|                |          | गेहूं असिंचित | 23000          | 345                    | 31 दिसंबर 2023                             |

ई-मेल: [pmfbychhattisgarh@hdfcergo.com](mailto:pmfbychhattisgarh@hdfcergo.com)

वेबसाइट: <https://pmfby.gov.in/farmer>



एचडीएफसी अर्गो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, आईआरडीएआई रजि. नं. 146, CIN: U66030MH2007PLC177117, पंजीकृत व कारपोरेट कार्यालय: पहली मंजिल, एचडीएफसी हाउस, 165-166 बैकबे रेक्लेमेशन, एच.टी. पारेख मार्ग, चर्चगेट, मुंबई-400020. जोखिम घटकों, नियमों व शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया बिक्री के समापन से पूर्व सेल्स ब्रोशर/प्रॉस्पेक्टस को पढ़ लें. ऊपर दर्शाये ट्रेड लोगो एचडीएफसी बैंक लि. और अर्गो इंटरनेशनल एजी के हैं तथा कंपनी द्वारा लाइसेंस के अंतर्गत इनका इस्तेमाल किया गया है. यूआईएन: Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - IRDAN125P0003V01201617 | CSC - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - HDE-AG-P18-25-V01-17-18. UID: 13874.